

26/3/24 पत्रावली पेश हुई। पक्कील प्रार्थी व ल्वांग प्रार्थी को  
वांगकाल 6pm तक बार - बार आवाज लगाने के बावजूद  
घण्टीर अदालत नहीं आया न ही प्रार्थी की ओर ले  
अन्य कोई पर्यवी करने हेतु घण्टीर अदालत आया  
अतः प्र. पत्र शशकता अदम घण्टीर एवं अदम पर्यवी  
में आरिज किया जाता है। पत्रावली वाद तकमील  
दामिल दफ्तर है।

31